राजस्थान राज्य सूचना आयोग

झालाना लिंक रोड, ओ.टी.एस. चौराहा ,जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

अपील संख्या: - 997/2018

अपीलार्थी	**बनाम**	**प्रत्यर्थी**
शाहबाज खान हकीम याहया मिया का मकान] पंच कुईया दरवाजा] पुरानी टोंक टोंक , राजस्थान		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं लोक सुचना अधिकारी विधि विभाग, शासन सचिवालय जयपुर

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 19(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

निर्णय

दिनांक : 26-03-2018

1. अपीलार्थी अनुपस्थित।

2. प्रत्यर्थी पक्ष से श्री बी. एस. नन्दवाना, उप सचिव उपस्थित।

3. मैंने प्रत्यर्थी पक्ष को सुना एवं पत्रावली का विशद परिशीलन किया।

4. अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 23-08-2017 के द्वारा दिनांक 04-05-2017 के भास्कर में छपे लेख के बाबत सूचना चाही गई थी। सूचना नहीं मिलने एवं प्रथम अपीलीय निर्णय दिनांक 31-10-2017 से असंतुष्ट रहने के आक्षेप पर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।

5. सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी ने बताया कि आवेदन में अखबार में प्रकाशित कटिंग को संलग्न करते हुए किसी एक्ट जिसके अधीन नौकरिया में आरक्षण के प्रति नियम बनाये गये हो की प्रति चाही गई थी। आवेदन में अस्पष्ट व अनिश्चित सूचना चाही गई थी। वांछित सूचना का स्पष्ट संदर्भ नहीं था। विभाग सूचना तक पहुॅच नहीं बना सकता था। इस कारण दिनांक 25-09-2017 को आवेदन अस्वीकार कर दिया गया। जिसकी प्रति अपीलार्थी को प्रेषित की गई है। प्रथम अपील दिनांक 31-10-1017 को खारिज की जा चुकी है। पत्र दिनांक 25-09-2017 व प्रथम अपील निर्णय की प्रति पत्रावली में संलग्न है।

6. प्रत्यर्थी ने आयोग के नोटिस के संदर्भ में अपीलोत्तर दिनांक 16-02-2018 प्रस्तुत किया है जिसकी प्रति अपीलार्थी को प्रेषित की गई है। जिससे उक्त पैरा संख्या 5 में किये गये कथन की पुष्टि होती है।

7. अपीलार्थी द्वारा कोई अन्यथा प्रतिक्रिया प्रस्तुत नहीं की गई है। अभिलेखानुसार सूचना प्रदत्त है। अपील में अब कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने के कारण अपील का खारिज किया जाना समीचीन है।

8. अस्तु, वर्तमान अपील खारिज की जाती है।

9. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।

10. निर्णय घोषित।

(सुरेश चौधरी)
मुख्य सूचना आयुक्त